न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–20/2009/टोंक (2009/00011)

1. रामकन्या पुत्र सुखा, जाति कुम्हार (मृतक) जरिये वारिसानः–
   1/1– नन्दकिशोर पुत्र रामकन्या,
   1/2– दौलत पुत्र रामकन्या,
   1/3– राकेश पुत्र रामकन्या,
   1/4– निर्मला पुत्री रामकन्या,
   1/5– मांगीलाल पति रामकन्या,
   समस्त जाति कुम्हार, निवासी डिग्गी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक ।

अपीलांट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत डिग्गी पंचायत समिति मालपुरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत डिग्गी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक ।
2. छोगा वल्द सुक्खा,
3. गोपाल पुत्र रतन पुत्र हरनाथ,
4. रामस्वरूप वलद हरनाथ पुत्र सुक्खा **(फौत–नाम तर्क)**
5. रामेश्वरी पत्नि रतन पुत्र हरनाथ,
   समस्त जाति कुम्हार, निवासी डिग्गी, तह0 मालपुरा, जिला टोंक ।
6. कालूराम पुत्र नन्दलाल, जाति गुर्जर, निवासी डिग्गी, तह0 मालपुरा, जिला टोंक ।
7. शबीर हुसैन पुत्र अब्दुल गफ्फार, जाति मुसलमान, निवासी डिग्गी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा दिनांक 1.1.2009 अंतर्गत अपील संख्या 1/2009.

उपस्थितः–

1. श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका, वकील अपीलांटस ।
2. श्री गिरीश शर्मा, वकील रेस्पोडेंस ।

निर्णय

दिनांक :– 28.2.2018

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 1.1.2009 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस के पिता स्व0 सुक्खा वल्द माधो, जाति कुम्हार, मौजा डिग्गी तहसील मालपुरा स्थित आराजी खसरा नंबर 3311 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 4016/2 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 1462 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 1463 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा व खसरा नंबर 4016/3 रकबा 1 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा भूमि खातेदारी में दर्ज थी । अपीलांटस के पिता स्व0 सुक्खा के स्वर्गवास होने पर पटवारी ने विरासत का नामांतकरण स्व0 सुक्खा के वारिस हरनाथ व छोगा पुत्र सुक्खा व रामकन्या पुत्री सुक्खा के नाम नामांतकरण संख्या 1260 भरकर ग्राम पंचायत डिग्गी के समक्ष प्रस्तुत किया परन्तु ग्राम पंचायत डिग्गी ने विधि विपरीत जाकर एवं अपीलांट को बिना नोटिस दिये व सुनवाई का अवसर दिये व बिना कोई जांच किये स्व0 सुक्खा की विरासत का नामांतकरण हरनाथ व छोगा के नाम दिनांक 26.5.1978 को तस्दीक कर दिया । अपीलांट ने ग्राम पंचायत, डिग्गी द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 1260 दिनांक 26.5.1978 के विरूद्ध अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा ने निर्णय दिनांक 1.1.2009 को खारिज की गई। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांटस की माता स्व0 रामकन्या स्व0 सुक्खा की जायंदा पुत्री है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस है इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने नामांतकरण पारित करते समय पटवारी हल्का की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर बिना कोई जांच किये तथा अपीलांटस की माता रामकन्या को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना नामांतकरण संख्या 1260 दिनांक 26.5. 1978 को हरनाथ व छोगा के नाम स्वीकृत करने में विधिक त्रुटि कारित की है । उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा ने भी इस तथ्य को नजरअंदाज कर मात्र मियाद के बिन्दु पर अपीलांटस की अपील अपास्त करने में त्रुटि

कारित की है । अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि एकतरफा एवं विधिविरूद्ध पारित नामांतकरण आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद में दर्ज तथ्यों को विवेचन किये बिना एवं बिना काउण्टर शपथ पत्र के अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 को खारिज करने में कानूनी भूल की है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर बिना किसी कारण के अपीलांट्स की माता रामकन्या के नाम नामांतकरण तस्दीक नही कर मात्र भाईयों के नाम ही नामांतकरण तस्दीक किया गया है जो प्रारंभ से अवैध एवं शून्य था जिसको कभी भी किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है । अधी0न्याया0 ने भी इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज अपील अपीलांट्स अपास्त करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा का निर्णय दिनांक 1.1.2009 एवं ग्राम पंचायत, डिग्गी द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 1260 दिनांक 26.5.1978 को अपास्त किया जावे । xx

4- विद्वान वकील रेस्पोडेंट्स ने जवाब बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् है । हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के अनुसार सन् 2005 से पूर्व पुत्रियों को सम्पति में अधिकार प्राप्त नहीं होने से ग्राम पंचायत ने अपीलांट्स की माता स्व0 रामकन्या के नाम नामांतकरण स्वीकृत नहीं किया है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट्स ने नामांतकरण संख्या 1260 दिनांक 26.5.1978 के विरूद्ध सन् 2009 में लगभग 30 वर्षो के भारी विलंब के उपरांत अपील प्रस्तुत की थी तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के भी संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये जाने के फलस्वरूप अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स की अपील मियाद के बिन्दू पर खारिज की है जो विधिसम्मत् है। अपीलांट्स ने विवादित भूमि पर अपने कब्जे के संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट्स ने विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय उप जिला कलक्टर, मालपुरा के न्यायालय में राजस्व वाद दिनांक 21.10. 2005 को प्रस्तुत किया जो अदम–हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने के उपरांत पुनः नंबर पर लिया गया जिसका नवीन वाद संख्या 166/2009 है जो विचाराधीन है । इसलिये अपीलांट्स का अधी0न्याया0 के समक्ष यह तर्क कि अपीलाधीन नामांतकरण की अपीलांट्स को पूर्व में जानकारी नहीं थी किया गया कथन असत्य एवं तथ्यों से परे है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में यह भी कथन किया कि रामस्वरूप पुत्र हरनाथ द्वारा अपना हि0 1/4 का विक्रय किये जाने से हरनाथ के उक्त हिस्से बाबत् कालूराम पुत्र नंदलाल गूजर, शाबिर हुसैन पुत्र अब्दुल गफूर के नाम 1/4 हिस्से का नामांतकरण संख्या 3871 दिनांक 5.3.2009 को स्वीकृत हो चुका है। अपीलांट्स को विवादित आराजियात में क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इसका निर्धारण तो राजस्व वाद में बाद साक्ष्य होगा । वर्तमान

में अपीलांट्स द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत नामांतकरण की अपील भारी विलंब से प्रस्तुत किये जाने तथा विलंब के उचित एवं संतोषप्रद कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये जाने से अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स की अपील अपास्त की है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट्स अपास्त की जावे। xx

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की बहस पर मनन किया । अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अपीलांट्स की माता रामकन्या मृतक खातेदार सुक्खा की पुत्री होने से उसका भी विवादित आराजियात में बराबर हक एवं अधिकार है किन्तु ग्राम पंचायत डिग्गी ने नामांतकरण संख्या 1260 दिनांक 26.5.1978 तस्दीक करते समय पटवारी हल्का की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर छोगा व हरनाथ पुत्र सुक्खा के नाम नामांतकरण तस्दीक करने में त्रुटि कारित की है । इसके विपरीत रेस्पो0 का कथन है कि पटवारी हल्का ने मृतक खातेदार सुक्खा के वारिसान का अपनी रिपोर्ट में हवाला अंकित किया है जिसमें छोगा व हरनाथ पुत्र तथा रामकन्या को पुत्री होना दर्शाया है किन्तु सन् 2005 से पूर्व हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत पुस्तैनी सम्पति में पुत्रियों का हक व अधिकार नहीं होने से ग्राम पंचायत ने केवल मात्र पुत्रों के नाम नामांतकरण संख्या 1260 तस्दीक किया है जो विधिसम्मत् है । इस संबंध में नामांतकरण संख्या 1260 दिनांक 26.5.1978 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामांतकरण भरते समय पटवारी हल्का ने मृतक सुक्खा के वारिसान में छोगा व हरनाथ पुत्र तथा रामकन्या पुत्री होने की रिपोर्ट की है साथ ही रामकन्या की शादी होने का भी अंकन अपनी रिपोर्ट में किया है। नामांतकरण संख्या 1260 दिनांक 26.5.1978 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर अपीलांट्स की माता रामकन्या के नाम मृतक सुक्खा की विरासत तस्दीक न कर केवल मात्र पुत्रों छोगा व हरनाथ के नाम तस्दीक की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अपीलांट्स की माता रामकन्या मृतक खातेदार पिता की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है जिसे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार पिता की सम्पति में बराबर हक व अधिकार प्राप्त है तथा उक्त अधि0 की धारा 6 में संशोधन किया जाकर सितम्बर, 2005 के पश्चात् खातेदार पिता के जीवनकाल में पुत्रियों का भी पुत्रों के सामन हक व अधिकार बाबत् उक्त अधि0 में संशोधन प्रावधित **किया गया है ।** प्रकरण में जहां तक अपीलांट्स का यह कथन कि अधी0न्याया0 ने धारा 5 मियाद बिन्दू पर अपीलांट्स की अपील अपास्त करने में त्रुटि कारित की है । इस संबंध में अपीलांट्स द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का अवलोकन किया । अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र में नामांतकरण संख्या 1260 की जानकारी दिनांक 12.12.2008 को होना अंकित किया है किन्तु विवादित भूमि के संबंध में उप जिला कलक्टर के न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 166/2009 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि

अपीलांट्स ने उक्त वाद दिनांक 21.10.2005 में प्रस्तुत कर दिया था इसलिये अपीलांट्स का यह कथन कि दिनांक 12.12.2008 से पूर्व अपीलांट्स को नामांतकरण संख्या 1260 की जानकारी नहीं होने के संबंध में किया गया कथन तथ्यों से परे अवश्य है किन्तु जहां पक्षकारान के हित निहित हो वहां तकनीकी आधार पर प्रकरण को अपास्त कर पक्षकारान को न्याय से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है । वैसे भी मियाद के बिन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में राजस्व वाद संख्या 166/2009 विचाराधीन है । अपीलांट्स को विवादित भूमि में क्या हक व अधिकार प्राप्त होगें इन–सबका निस्तारण मूल वाद में ही किया जावेगा किन्तु रेस्पोडेंट्स द्वारा विवादित भूमि के संबंध में विचाराधीन वाद के निर्णय से पूर्व यदि विवादित भूमि का अन्यंत्र हस्तातंरण कर दिया जाता है तो अपीलांट्स द्वारा वाद प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा । उपरोक्त परिस्थिति में हम नामांतकरण संख्या 1260 दिनांक 26.5.1978 को विवादित करार दिया जाना न्यायोचित समझते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 1.1. 2009 अपास्त योग्य होकर प्रकरण तहसीलदार, मालपुरा को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 20/2009 (2009/00011) बउनवानी रामकन्या बनाम ग्राम पंचायत डिग्गी व अन्य को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा अपील संख्या 1/2009 बउनवान रामकन्या बनाम ग्राम पंचायत डिग्गी में पारित निर्णय दिनांक 1.1.2009 को अपास्त किया जाता है एवं पक्षकारान के मध्य विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 166/2009 के निर्णय तक नामांतकरण संख्या 1260 दिनांक 26.5.1978 को विवादित करार दिया जाता है । प्रकरण तहसीलदार, मालपुरा को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उक्तानुसार नामांतकरण संख्या 1260 दिनांक 26.5.1978 ग्राम मौजा डिग्गी, तहसील मालपुरा में विवादित होने का नोट राजस्व अभिलेख में लाल स्याही से अंकित करे तथा पक्षकारान के मध्य विचाराधीन वाद में होने वाले निर्णयानुसार कार्यवाही करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 28.2.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर